राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ. .सीसी / स्वा.का.पु. / 2024 / दिनांक :–

आदेश

प्रकरण एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 11230 / 2022 श्रीमती राजू देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा स्वास्थ्य कार्य0 पु0 बनाम सरकार व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 18.01.2023 को निम्न निर्णय पारित किया गया है।

" In case, representation is so addressed, the respondents shall consider petitioner's representation in accordance with law including the adjudication made in the case of Dadam Das Vaishnav (supra) and Govind Dan Charan Vs. State of Rajasthan & Ors. (D.B. Civil Special Appeal (Writ) No. 1068/2014) decided on 17.12.2015, without insisting upon furnishing appointment order in accordance with law.

Needful be done within a period of three months of receiving the representation.

It is made clear that aforesaid direction to decide the representation has been issued only with a view to ensure expeditious redressal of petitioner's grievance. The same may not be construed to be an order to decide the representation in a particular manner.

The stay application also stands disposed of accordingly "

कि दाडमदास वैष्णव व अन्य का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू) से संबंधित है जिसमें निर्धारित योग्यता सैकण्डरी या समकक्ष के साथ 18 माह (जिसे बाद में 12 माह सशोधित किया गया) के हेल्थ वर्कर मेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना आवश्यक था।

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार याचिकाकर्ता आमेलित / समायोजित कार्मिक है जिनकी नियुक्ति बेसिक हैल्थ वर्कर / मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पदों पर होने एवं याचिकाकर्ता समायोजित / आमेलित पुरुष होने से याचिकाकर्ता का प्रकरण गोविंद दान चारण के प्रकरण के समान है।

गोंविद दान चारण व अन्य का प्रकरण समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर / मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर पदों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के पद पर समायोजित / आमेलित किया गया, उक्त समायोजित / आमेलित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के संबंध में गोविन्द दान चारण से कवर्ड मानते हुए क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में याचिकाकर्ता श्रीमती राजू देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा को माननीय न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट संख्या 11630 / 2016 निर्णय दिनांक 24.10.2016 के अंतर्गत प्रकरण गोविंद दान चारण से कवर्ड हुये चयनित वेतनमान देने के निर्देशों की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 1178 दिनांक 23.06.2017 के द्वारा स्व. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा के समायोजित मलेरिया सर्वलेन्स वर्कर के पद पर होने से समायोजित स्वा. कार्य.पु. होने से एवं प्रकरण गोंविद दान चारण के प्रकाश में कमशः 09, 18 एवं 27 वर्ष पर क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत किया गया हैं।

प्रकरण मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्रीमती राजू देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा का प्रकरण समायोजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष का होने से पूर्णतया गोविन्द दान चारण प्रकरण से कवर्ड होने पर न्यायिक निर्णय की पालना में गोंविद दान चारण के प्रकाश में संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। एवं याचिकाकर्ता का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष दाडमदास वैष्णव के प्रकरण से कवर्ड नहीं होने से याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से जांच करने से याचिकाकर्ता द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नहीं होने से अभ्यावेदन एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ.2311.सीसी / स्वा.का.पु. / 2024 / 12 दिनांक :– 11/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. संबंधित याचिकाकर्ता श्रीमती राजू देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा को द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
4. वेबसाइट हेतु प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5303114

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH NAWAL <...@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Naval
Designation : Director
Date :11-01-2024 11:45:34